न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या
40/18

तारीख दायरा
28.05.2018

तारीख फैसला
6/11/2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. मधुबाई पुत्री रामस्वरूप पत्नी गंगाधर जाति मीणा निवासी बराणा हाल मुकाम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद हाल मुकाम सेन्ट्रल जेल कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र सुन्दरा जाति मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मुकाम पावर हाउस के पास बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा
2. मुकेश पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मुकाम पावर हाउस के पास बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा
3. गीताबाई पुत्री रामस्वरूप पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति मीणा निवासी माण्डपुर तहसील अन्ता जिला बांरा हाल निवासी रामनगर तलाब पाडा वार्ड नं0 2 सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट वादीगण की ओर से
– श्री दीनदयाल सेन एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद में ख0नं0 10 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 43 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 135 प. रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 136 प. रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 217 रकबा 1.78 हे0, ख0नं0 234 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 6 रकबा 2.90 हे0 भूमि जमाबंदी सं0 2071–74 में प्रतिवादी नं0 1 के खातें दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पुश्तेनी है तो प्रतिवादी नं0 1 के खातें दर्ज है उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी नं0 1 को विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। उक्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 का जन्म से हक अधिकार नियत है। वादीगण उक्त विवादित आराजीयात् में से प्रत्येक का हिस्सा 1/5–1/5 भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में हिस्सा खातें दर्ज करवाना चाहते है। जिसके वादीगण हक अधिकारी है। उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी नं0 1 के खातें दर्ज होनें से प्रतिवादी नं0 1 उक्त विवादित आराजीयात् को अन्यत्र रहन,

Scanned by CamScanner

बैचान करनें पर आमादा है तथा वादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी नं0 1 वर्तमान में कारागार कोटा में बन्द है जिसका हिस्सा उक्त भूमि में 1/5 नियत है। उक्त हिस्से को वादी नं0 2 बैचान नहीं करना चाहता, जिसके हिस्से की रक्षा करना सरकार का भी दायित्व है। वादी के 1/5 हिस्से की भूमि समेत समस्त आराजीयात् को प्रतिवादी नं0 1 रहन, बैचान या खुर्द बुर्द करनें की धमकी दे रहा है जबकि उक्त आराजीयात् पुश्तेनी होनें से वादीगण के हिस्से 2/5 भूमि पृथक से खातें दर्ज कर वादीगण को 2/5 भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वाद कारण दिनांक 19.05.2018 को प्रतिवादी नं0 1 ने वादीगण को उक्त विवादित आराजी अन्यत्र रहन, बैचान करनें की देनें से पैदा हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 10 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 43 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 135 प. रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 136 प. रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 217 रकबा 1.78 हे0, ख0नं0 234 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 6 रकबा 2.90 हे0 भूमि पुश्तेनी होनें से वादीगण का जन्म से हक अधिकार नियत होनें से वादीगण को 2/5 हिस्से की भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के 1/5–1/5 हिस्सा खातें दर्ज किया जावें। स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रसारित की जावें कि उपरोक्त भूमि में से वादीगण के 2/5 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें, वादीगण की काश्त व्यवस्था में व्यवधान पैदा नहीं करें, रहन, बैचान या खुर्द बुर्द नहीं करें, किसी भी प्रकार से अन्यत्र मुन्तकिल नहीं करे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करें और न ही अपनें किसी प्रतिनिधि से करावें। अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलायी जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम जालिमपुरा सं0 2071–74 खाता नं0 124

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री दीनदयाल सेन का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा उपस्थित पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, जिस पर पक्षकारान् ने सहमति जाहिर की। वादीगण की पहचान वकील श्री सुरेन्द्र दाधीच व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की पहचान वकील श्री दीनदयाल

Scanned by CamScanner

सेन द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2071–74 खाता नं0 124 के अनुसार विवादित आराजीयात् का प्रतिवादी नं0 1 रामस्वरूप पुत्र सुन्दरा जाति मीणा खातेदार राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है। जिसमें से ख0नं0 10 रकबा 0.65 हे0 व ख0नं0 43 रकबा 0.15 हे0 भूमि का बैचान किया जा चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3, रामस्वरूप की संतान है तथा वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 नें मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जानें की स्वीकारोक्ति प्रदान की है।

चूंकि प्रकरण पिता एवं वारिसान के मध्य पुश्तेनी भूमि में घोषणा को लेकर जैरकार है। प्रस्तुत प्रकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में विचारण करनें के उपरान्त संतान का अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में जन्म से ही स्वत्व निर्धारित हो जानें की अवधारणा है। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत करनें के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। जिससे वादीगण अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें के अधिकारी है।

लिहाजा वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 135 पश्चिम रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 136 पश्चिम रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 217 रकबा 1.78 हे0, ख0नं0 234 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.10 हे0 भूमि में वादीगण को 1/5–1/5 तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 को 1/5–1/5–1/5 हिस्से का खातेंदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 6/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. मधुबाई पुत्री रामस्वरूप पत्नी गंगाधर जाति मीणा निवासी बराणा हाल मुकाम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद हाल मुकाम सेन्ट्रल जेल कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र सुन्दरा जाति मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मुकाम पावर हाउस के पास बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा
2. मुकेश पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मुकाम पावर हाउस के पास बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा
3. गीताबाई पुत्री रामस्वरूप पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति मीणा निवासी माण्डपुर तहसील अन्ता जिला बारां हाल निवासी रामनगर तलाब पाडा वार्ड नं0 2 सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–40/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री दीनदयाल सेन एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 135 पश्चिम रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 136 पश्चिम रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 217 रकबा 1.78 हे0, ख0नं0 234 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.10 हे0 भूमि में वादीगण को 1/5–1/5 तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 को 1/5–1/5–1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 6/11/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0

Scanned by CamScanner

मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner